

**यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी धनराशि 25000 (पच्चीस हजार ) रुपये थाना रामपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से ऑनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में कल थाना रामपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी धनराशि 25000 (पच्चीस हजार रुपये) पीडित अजीत यादव नि० रसूलपुर आदमपुर उर्फ रामपुर थाना रामपुर, मऊ जनपद मऊ आवेदक की कुल धनराशि 25000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना रामपुर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

**बरामदकर्ता पुलिस टीम-**

1. उ०नि० अभिषेक तिवारी
2. उ०नि० अनुराधा
3. क०आ० प्रतीक चन्द्र शुक्ल
4. आरक्षी नीलेश मिश्रा समस्त थाना रामपुर, जनपद मऊ ।

**चाकू मारने के मामले वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01चाकू बरामद-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल

पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस द्वारा दिनांक 18.10.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर समय करीब 01:30 बजे सरायगनेश बरुहा बाहा की पुलिया पास से मु0अ0सं0 506/25 धारा 109 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त शिवनाथ पुत्र केशव राजभर निवासी गोविन्दपुर टंगुनिया थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे स 01 अदद चाकू (खोलने बन्द करने वाली सब्जी व फल काटने वाली ) बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.10.2025 को बाबत झगडा करने तथा छोटी चाकू से मार देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 506/25 धारा 109 बीएनएस बनाम शिवनाथ पुत्र केशव राजभर निवासी गोविन्दपुर टंगुनिया थाना घोसी के पंजीकृत कराया गया।

### **अभियुक्त का विवरण-**

1. शिवनाथ पुत्र केशव राजभर निवासी गोविन्दपुर टंगुनिया थाना घोसी जनपद मऊ।

### **पंजीकृत अभियोग –**

1. में मु0अ0सं0 506/25 धारा 109 बीएनएस

### **बरामदगी –**

1. 01 अदद चाकू (फल व सब्जी काटने वाली खुलने व बन्द होने वाली )

### **बरामदकर्ता पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह
3. हे0का0 अश्वनी कुमार सिंह
4. का0 अखिलेश कुमार सिंह
5. का ऋषिकेश कुमार

मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट में 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में दिनांक 18.10.2025 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान अम्बेडकर तिराहा अमिला के पास से मु0अ0सं0 494/2025 धारा 87,137(2) बीएनएस व 18 पाक्सो एक्ट में वांछित बाल अपचारी कल्लू पुत्र रामनरेश नाग निवासी सोहरिया तम्भौर खास थाना तम्भौर जनपद सीतापुर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर चालान न्यायालय किया गया।

#### बाल अपचारी का विवरण –

1. कल्लू पुत्र रामनरेश नाग निवासी सोहरिया तम्भौर खास थाना तम्भौर जनपद सीतापुर।

#### पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 494/2025 धारा 87,137(2) बीएनएस व 18 पाक्सो एक्ट

#### गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह
2. उ0नि0 संजय कुमार उपाध्याय
3. का0 दयानन्द त्रिपाठी

मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल निर्देशन में दिनांक 18.10.2025 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान कनियारीपुर चौराहा पर रोड़ के किनारे से मु0अ0सं0 301/2025 धारा 69,351(3), 352 बीएनएस वांछित अभियुक्त रोहिक यादव पुत्र उमाशंकर यादव निवासी खानपुर बुर्जुग थान घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

#### **अभियुक्त का विवरण –**

1. रोहिक यादव पुत्र उमाशंकर यादव निवासी खानपुर बुर्जुग थान घोसी जनपद ।

#### **पंजीकृत अभियोग –**

2. मु0अ0सं0 301/2025 धारा 69,351(3), 352 बीएनएस

#### **गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 विशाल पासवान थाना कोपागंज ।
2. हे0का0 बृजेश गौड़ थाना कोपागंज ।

**आज दिनांक 18.10.2025 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा दीपावली पर्व के दृष्टिगत सरस्वती शिशु मंदिर मठिया टोला कोतवाली नगर के बच्चों को उपहार स्वरूप मिष्ठान, कापी-कलम आदि देकर दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी गयी -**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्रि व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के साथ दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर मठिया टोला थाना कोतवाली जनपद मऊ में जाकर बच्चों से उनके पढाई, स्वास्थ्य के संबंध में बताते हुए उपहार स्वरूप मिष्ठान, कापी, कलम, पटाखा आदि देकर दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी गयी, तथा दीप जलाकर उनके साथ दीपावली मनाया गया जिससे शिशु मंदिर में मौजूद समस्त बच्चों द्वारा ख़ुशी जाहिर की गई । इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

